

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

07 मार्च
फरवरी 2017

विषय:- जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लि0 ए-5 सेक्टर-3 नोएडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम दादरा तहसील नवाबगंज के गाटा संख्या-909 एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40-41 के मध्य बायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

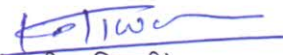
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/04/2017/एफसी/100, दिनांक 12-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण का संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1748/1-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/12699/2015, दिनांक 20-02-2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 20-02-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-383(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।